"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 मई 2011—ज्येष्ठ 2, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-27/2011/18.—राज्य शासम को यह समाधान हो गया है कि प्रदेश के समस्त नगर पालिक निगम, के सभी कर्मचारियों के द्वारा छठवें वेतनमान की मांग को लेकर की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के क्रमबद्ध चरण में दिनांक 24-05-2011 से पेयजल आपूर्ति, सड़क सफाई, अग्निशमन सेवा आदि अत्यावश्यक कार्यों का संपादन बंद करने की घोषणा के फलस्वरूप निगम क्षेत्र के भीतर नागरिकों के जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है, तथा नगर में आकस्मिक आवश्यकता विद्यमान हो गई है.

उपरोक्त स्थिति में प्रदेश के समस्त नगर पालिक निगम, में अत्यावश्यक सेवाओं को बनाये रखा जाना अति आवश्यक होने के कारण छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 65 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश के सभी नगर पालिक निगमों में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त अत्यावश्यक सेवा घोषित करता है.

उक्त के फलस्वरूप ऐसी आवश्यक सेवाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है उक्त कालावधि तक किसी भी विधि या किसी भी ठहराव के होते हुए भी

(अ) विधिवत् स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त अन्यथा अपने कर्तव्यों से स्वयं के न तो विकर्षित करेगा और न अनुपस्थित रहेगा.

(ब) अपने कर्तव्यों का संपादन करने में न तो असावधानी करेगा और न उससे इंकार करेगा और न इच्छापूर्वक अपटू रीति में उनका संपादन करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2011

क्रमांक एफ 4-27/18/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-27/18/2011 दिनांक 23-05-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला**, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd May 2011

NOTIFICATION

No. F-4-27/18/2011.—State Government is of opinion that the stoppage or cessation of essential services due to indefinite strike called on from date 24-05-2011 by employees of all Municipal Corporation's, will be prejudicial to the safety, health and maintenance of essential services to the life of community in the city limit of municipal corporation area and will badly affect the essential services like water supply, sanitation, fire services etc. in the Corporation area.

Therefore using the power conferred under Section 65 of Chhattisgarh Nagar Palik Nigam Adhiniyam, 1956 (No. 23 of 1956), The State Government hereby declares an emergency that will exist due to the strike and hence declares all the services i.e. sanitation, water supply, fire services, maintenence of public lighting system, road clearing etc. as a essential emergency services with immidiate effect till the further order's.

Hence no employee responsible for such emergency essential service's as specified above in the notificication shall, notwithstanding any law for time being in force or any agreement (a) will withdraws or absent himself from his duties otherwise than on leave duly granted or (b) neglect or refuse to perform his duties or willfully peform them in an inefficient manner.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-19/2011/18.—राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, के सभी कर्मचारियों के द्वारा छठवें वेतनमान की मांग को लेकर की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के क्रमबद्ध चरण में दिनांक 24-05-2011 से पेयजल आपूर्ति, सड़क सफाई, अग्निशमन आदि अत्यावश्यक कार्यों का संपादन बंद करने की घोषणा के फलस्वरूप निकाय क्षेत्र के भीतर नागरिकों के जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है, तथा नगर में आकस्मिक आवश्यकता विद्यमान हो गई है.

उपरोक्त स्थिति में प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, में अत्यावश्यक सेवाओं को बनाये रखा जाना अति आवश्यक होने के कारण छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 99बी के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश के सभी नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त अत्यावश्यक सेवा घोषित करता है.

उक्त के फलस्वरूप ऐसी आवश्यक सेवाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी जैसा कि ऊपर **विनिर्दिष्ट** किया गया है उक्त कालावधि तक किसी भी विधि या किसी भी ठहराव के होते हुए भी

(अ) विधिवत् स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त अन्यथा अपने कर्तव्यों से स्वयं के न तो विकर्षित करेगा और न अनुपस्थित रहेगा.

(ब) अपने कर्तव्यों का संपादन करने में न तो असावधानी करेगा और न उससे इंकार करेगा और न इच्छापूर्वक अपटू रीति में उनका संपादन करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2011

क्रमांक एफ 4-19/18/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-19/18/2011 दिनांक 23-05-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला**, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd May 2011

NOTIFICATION

No. F-4-19/18/2011.—State Government is of opinion that the stoppage or cessation of essential services due to indefinite strike called on from date 24-05-2011 by employees of all Municipal Council's, will be prejudicial to the safety, health and maintenance of essential services to the life of community in the city limit of Municipal Council's area and will badly affect the essential services like water supply, sanitation, fire services etc. in the Council area.

Therefore using the power conferred under Section 99B of Chhattisgarh Nagar Palika Adhiniyam, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby declares an emergency that will exist due to the strike and hence declares all the services i.e. sanitation, water supply, fire services, maintenence of public lighting system, road clearing etc. as a essential emergency services with immidiate effect till the further order's.

Hence no employee responsible for such emergency essential service's as specified above in the notificication shall, notwithstanding any law for time being in force or any agreement (a) will withdraws or absent himself from his duties otherwise than on leave duly granted or (b) neglect or refuse to perform his duties or willfully peform them in an inefficient manner.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.